भारत निर्वाचन आयोग

पीठासीन अधिकारी के लिए विवरणिका
(ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग पर)

वितरण दिवस पर प्रारंभिक जाँच

1. बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को संबंधित कैरिंग केस से सावधानीपूर्वक बाहर निकालें।
2. ईवीएम और वीवीपैट पर क्या जांचे?

मतपत्र इकाईयाँ

- यह सुनिश्चित करने के लिए बीयू आपके लिये निर्दिष्ट मतदान केन्द से संबंधित है, बीयू के एड्रेस टैग की जाँच करें।
- बीयू की पिंक पेपर सील अक्षुण्ण है।
- मतपत्र सही तरीके से लगाया गया है।
- अभ्यर्थियों के नीले बटन नोटा तक, मतपत्र बटन खुले हुए हैं।
- पहले बीयू के लिए थंब व्हील की स्थिति 01 है (यदि 01 से अधिक बीयू का उपयोग किया जाता है, तो दूसरे बीयू के लिए थंब व्हील की स्थिति 02 पर है, तीसरे बीयू के लिए थंब व्हील की स्थिति 03 है और इसी तरह)

नियंत्रण इकाई

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीयू आपके निर्दिष्ट मतदान केंद्र से सबंधित है, सीयू के एड्रेस टैग की जाँच करें।
- पिंक पेपर सीलें अक्षुण्ण है।
- बैटरी की स्थिति और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की जांच करने के लिए सीयू (बीयू और/या वीवीपैट से कनेक्ट किए बिना) चालू करें। इसके बाद सीयू को बंद कर दें।

वीवीपैट

- यह सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट के आपके निर्दिष्ट मतदान केन्द्र से संबंधित है, वीवीपैट के एड्रेस टैग की जाँच करें।
- पावर पैक (बैटरी) लगा हुआ है।
- वीवीपैट नॉब क्षैतिज है। (यानी परिवहन मोड) यदि वीवीपैट नॉब ऊर्ध्वाधर है। (अर्थात कार्यशील मोड) तो नॉब को क्षैतिज रखें।

3. क्या नहीं करना चाहिए ?

- वितरण के दौरान मतपत्र इकाई, नियंत्रण इकाई और वीवीपैट को न जोड़े।
- बीयू, सीयू और वीवीपैट की जांच करने के बाद यूनिट्स को संबंधित कैरिंग केस से बाहर न रखें।
- ईवीएम और वीवीपैट को किसी भी अनाधिकृत स्थान जैसे आवास, होटल आदि में न ले जाए।
- बीयू, सीयू और वीवीपैट से किसी भी सील को न हटाएं/क्षतिग्रस्त न करें।
- प्रस्थान के लिए उपलब्ध कराए गये वाहन के अलावा अन्य वाहन का उपयोग न करें।
- वोटिंग कम्पार्टमेंट को खुली खिड़की या दरवाजें के पास न रखें।
- वोटिंग कम्पार्टमेट को हाई इल्यूजन बल्ब/लाईट के ठीक नीचे न रखें।

मॉक पोल शुरू करने से पहले मतदान केंद्र पर बीयू, सीयू और वीवीपैट को सेट करना

1. बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को संबंधित कैरिंग केस से सावधानीपूर्वक निकालें।
2. वोटिंग कम्पार्टमेंट में बीयू और वीवीपैट रखें। वीवीपैट को बैलेट यूनिट के बायीं ओर रखें।
3. सीयू को पीठासीन/मतदान अधिकारी (सीयू का प्रभारी) की मेज पर रखें, ताकि इन्हें सेट अप के बाद या मॉक पोल के बाद स्थानान्तरित न करना पड़े।

4. बिना कनेक्टर की कुंडी (Latches) दबाएं, बीयू की केबल को वीवीपैट से और वीवीपैट की केबल को सीयू से कनेक्ट करें।

5. कंट्रोल यूनिट को चालू करने से पहले वीवीपैट के पेपर रोल नॉब को अनलॉक (कार्यशील स्थिति यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति) करें।

6. बीयू/सीयू/वीवीपैट के कनेक्टिंग केबल को ''पारदर्शी चिपकाने वाले टेप'' के साथ टेबल के पाये पर टेप करें।
7. **क्या नहीं करना चाहिए ?**

- ईवीएम और वीवीपैट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते समय सीयू को चालू न करें।
- केबल कनेक्ट करते समय कनेक्टर की दोनों तरफ की लैचेस न दबाएं।
- कनेक्टर के दोनों तरफ की लैचेस को दबाएं बिना केबल को डिस्कनेक्ट न करें।
- सीयू को चालू करने से पहले वीवीपैट नॉब को ऊर्ध्वाधर स्थिति (यानी कार्यशील स्थिति) में रखना न भूलें।
- वीवीपैट को बैलेट यूनिट के दाहिनी ओर न रखें।
- केबलों को खुला न छोड़ें (पारदर्शी टेप)

मॉक पोल का आयोजन

मॉक पोल वास्तविक मतदान के प्रारंभ होने के लिये निर्धारित समय से 90 मिनट पहले आयोजित किया जाना चाहिए। यदि एक या एक भी एजेंट उपस्थित नहीं है तो उनके लिए 15 मिनट तक प्रतीक्षा करके मॉक पोल प्रारंभ करें।

1. दिखायें की वीवीपैट पर्चियों का कम्पार्टमेंट खाली है।
2. सीयू चालू करें।
3. **टोटल** बटन दबायें और सीयू में ''0'' मत दिखायें। यदि कोई पूर्व मत है तो मत **'क्लियर'** करें।
4. कम से कम 50 वोट डालें और प्रत्येक अभ्यर्थी (नोटा सहित) को दिये गये मतों की संख्या कागज/रजिस्टर पर मैन्युअल रूप से दर्ज करें।
5. मॉक पोल के बाद सीयू का **''क्लोज बटन''** दबाएं।
6. इसके बाद मॉक पोल **परिणाम** सुनिश्चित करने के लिए सीयू का परिणाम बटन दबाएं और उसे मैन्युअल रिकॉर्ड के साथ मिलाएं।
7. वीवीपैट ड्रॉप बाक्स से मॉक पोल वीवीपैट पर्चियां निकालें और सीयू के वोटों से मिलान करें।
8. मॉक पोल का मिलान तभी सही होता है जब उपरोक्त 6 और 7 दोनों सहीं हों।
9. सीयू से मॉक पोल परिणाम हटाने के लिए सीयू का **क्लियर बटन** दबाएं और मतदान अभिकर्ताओं को '0' वोट दिखायें।
10. मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों पर **'मॉक पोल स्लिप'** की मुहर लगाएं।
11. मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को काले लिफाफे में रखें और फिर पिंक पेपर सील से सील करें।
12. सीयू को बंद कर दें।
13. मतदान अभिकर्ताओं को वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स दिखाएं।
14. मॉक पोल सर्टिफिकेट **(पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट – भाग–1)** को ध्यानपूर्वक भरें। सभी मतदान अधिकारियों और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर इस पर लें।

मॉक पोल के लिए प्रतिस्थापन प्राटोकॉल : बीयू, सीयू और वीवीपैट के लिए सभी 'त्रुटि' मैसेज केवल सीयू पर प्रदर्शित किए जाऐंगें। कृपया संदेश पढ़ें और तदनुसार कार्य करें।

यदि बीयू या सीयू या वीवीपैट काम नहीं कर रहा है, तो केवल संबंधित ईकाई को बदलें यानी –

(i) यदि बीयू काम नहीं कर रहा है, तो केवल बीयू को बदलें।

(ii) यदि सीयू काम नहीं कर रहा है, तो केवल सीयू को बदलें।

(iii) यदि वीवीपैट काम नहीं कर रहा है, तो केवल वीवीपैट को बदलें।

क्या नहीं करें ?

- कम से कम 50 वोट डाले बिना मॉक पोल बंद न करें।
- सीयू से मॉक पोल डेटा हटाए बिना और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक वीवीपैट पर्चियाँ निकाले बिना वास्तविक मतदान शुरू न करें।
- वीवीपैट मॉक पर्चियों को बिना मुहर लगाए न रखें।
- जब मॉक पोल चल रहा हो तो सीयू को बंद या चालू न करें।
- जब मॉक पोल चल रहा हो तो केबल को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट न करें।

मॉक पोल के बाद सीयू और वीवीपैट की सीलिंग

1. सीयू को ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग से सील करें और उन पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करें।

ग्रीन पेपर सील को लगाना

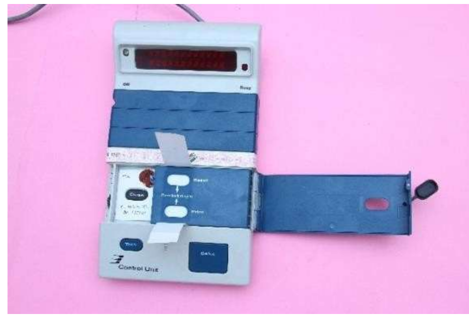

स्पेशल टैग के साथ परिणाम अनुभाग के आंतरिक कवर को सील करना

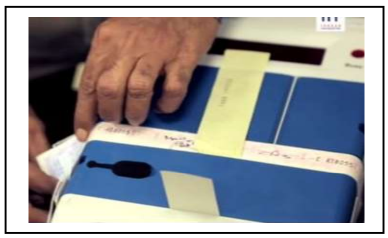

परिणाम अनुभाग के बाहरी कवर को एड्रेस टैग से सील करना

ग्रीन पेपर सील लगाना

2. वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग से सील करें और मतदान अभिकर्ताओं को भी इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें।

एड्रेस टैग के साथ वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करना

वास्तविक मतदान की शुरूआत

1. कंट्रोल यूनिट को चालू करें।
2. शून्य मत की पुष्टि करने और मतदान अभिकर्ताओं को दिखाने के लिए सीयू का ''**टोटल बटन**'' दबाएं।
3. फार्म 17 ए (मतदाता रजिस्टर) में पहले मतदाता के हस्ताक्षर करने से पहले मतदान अधिकारी –1, पीठासीन अधिकारी के साथ जाँच करेगा और फॉर्म 17 ए में स्याही में रिकॉर्ड करेगा कि ''**नियंत्रण इकाई में कुल मतों की जाँच की गई और शून्य पाया गया है।**''

वास्तविक मतदान के लिए प्रतिस्थापन प्रोटोकॉलः– बीयू, सीयू और वीवीपैट के लिए सभी 'त्रुटि' संदेश केवल सीयू पर प्रदर्शित किए जाऐंगे। कृपया संदेश पढ़ें और तदनुसार कार्य करें।

- यदि सीयू "Replace VVPAT" त्रुटि दिखाता है तो सीयू को बंद कर दें और केवल वीवीपैट बदलें। **किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है।**
- यदि बीयू या सीयू काम नहीं कर रहा है, तो बीयू, सीयू और वीवीपैट के पूरे सेट को बदल दें। पूरे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में, नोटा सहित प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभियर्थियों को 01 वोट देकर फिर से मॉक पोल आयोजित किया जायेगा। मॉक पोल प्रक्रिया का पालन करें जिसमें सीयू से मॉक पोल वोट को क्लियर करना और मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को हटाना आदि शामिल है। अलग से मॉक पोल प्रमाण पत्र भी बनाएं।
- यदि सीयू "Replace Power Pack of CU" त्रुटि दिखाता है तो वीवीपैट का पॉवर पैक बदलें सीयू को बंद कर दें और केवल वीवीपैट का पॉवर पैक बदलें। **किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है।**
- यदि सीयू "Replace Power Pack of CU" त्रुटि दिखाता है, तो ''सीयू का पॉवर पैक बदलें'' सीयू को बंद कर दें और केवल सीयू का पॉवर पैक बदलें और सीयू के पौवर पैक प्रकोष्ठ को सील कर दें। **किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है।**

क्या नहीं करना चाहिए ?

- जब वास्तविक मतदान चल रहा हो तो सीयू को बंद या चालू न करें।
- जब वास्तविक मतदान चल रहा हो तो केबल को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट न करें।
- जब केवल वीवीपैट या सीयू/वीवीपैट/बीयू का पॉवर पैक बदला गया हो तो मॉक पोल न करें।

मतदान प्रक्रिया का समापन

1. सीयू का **क्लोज** बटन दबाएं।
2. सीयू में कुल डाले गऐ मतों को फार्म–17 सी और पीठासीन अधिकारी की डायरी में नोट करने के लिये कंट्रोल यूनिट का **"Total"** बटन दबाएं और मतदान प्रारंभ होने का समय (PST) और मतदान समाप्ति का समय (PET) भी नोट करें। सीयू का टोटल बटन दबाएं।
3. सीयू को **बंद** कर दें।
4. वीवीपैट से बीयू की केबल और सीयू से वीवीपैट की केबल को डिस्कनेक्ट करें।
5. **वीवीपैट से पॉवर पैक (बैटरी) निकालें।**
6. बीयू, सीयू और वीवीपैट को संबंधित कैरिंग केस में रखें।
7. प्रत्येक कैरिंग केस को एड्रेस टैग से सील करें और उन पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करें।

क्या नहीं करें ?

- मतदान बंद होने के अधिसूचित समय या मतदान पूरा होने से पहले सीयू का क्लोज बटन न दबाएं।
- सीयू को बंद किए बिना केबल को डिस्कनेक्ट न करें।
- मतदान समाप्त होने के बाद वीवीपैट के पॉवर पैक को वीवीपैट में ही न छोड़े।
- मतदान समाप्ति के बाद कैरिंग केस को बिना सीलिंग किये और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना न रखें।
- संग्रहण केन्द्र पर मतदान सामग्री जमा करने हेतु अन्य वाहन का उपयोग न करें।